न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.01.2020
GCMS NO. :-2020/00003

मुकेश पिता शंकर जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–मुन्नी पिता मोती जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ममता पिता कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–सुमित्रा पिता कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–दुर्गा पिता कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–रूकमणी पिता कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6–उर्मिला पिता कालु जाति सरगडा, उम्र 14 वर्ष, जरिये माता गीता बेवा कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7–गीता बेवा कालु जाति सरगडा, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
8–जमना देवी पत्नि स्व. मोहन जाति रेगर, उम्र वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
9–उप पंजीयक, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

प्र. सं. 02/2020 (रा. अ.)
मुकेश पिता शंकर सरगडा निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला बनाम मुन्नी पिता मोती सरगडा निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019

उपस्थितिः- 1- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2- श्री रमेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8
3- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील इस आशय की पेश की है कि उप तहसीलदार, मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 पूर्णतया न्याय, नियम एवं वाकियाति तथ्यों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला के खाता संख्या नया 934 आराजी नम्बर 989, 1000, 3743/934, 3744/935 एवं 3745/988 किता 5 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 939 के आराजी नम्बर 3356/988 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी जायदाद रही है उक्त जायदाद में स्व. लेहरी पिता मोती जी ने अपना हिस्सा शंकरलाल के हक में हकत्याग कर दिया। उक्त जायदाद का पारिवारिक बंटवाड़ा होकर काबिज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं और उसी अनुसार

बंटवाड़ा कराये जाने का वादपत्र और अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला में पेश कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 65/2019 मुकेश बनाम शंकर दर्ज हो दिनांक 23.04.2019 से वर्णित आराजीयात के संबंध में हस्तांतरित नहीं करें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी होते हुए भी उक्त नामान्तरण विधि विपरीत एवं प्रभाव शून्य दस्तावेज के आधार पर छल–कपट कर खुलवाया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 निरस्त फरमाया जाकर दिनांक 25.04.2019 के पूर्व की स्थिति राजस्व रेकार्ड में कायम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र पालीवाल ने अधिकार पत्र पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री भैरूलाल सालवी ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से जवाब पेश होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला के खाता संख्या नया 934 आराजी नम्बर 989, 1000, 3743/934, 3744/935 एवं 3745/988 किता 5 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 939 के आराजी नम्बर 3356/988 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि पुश्तैनी जायदाद रही है उक्त जायदाद में स्व. लेहरी पिता मोती जी ने अपना हिस्सा शंकरलाल के हक में हकत्याग कर दिया। उक्त जायदाद का पारिवारिक बंटवाड़ा होकर काबिज हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं और उसी अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने का वादपत्र और अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला में पेश कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 65/2019 मुकेश बनाम शंकर दर्ज हो दिनांक 23.04.2019 से वर्णित आराजीयात के संबंध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा प्रकरण में हस्तांतरित नहीं करें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें सभी रेस्पोडेन्ट्स पक्षकार प्रकरण रहे हैं एवं स्थगन आदेश की जानकारी रही है उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट्स मुन्नी पिता मोती, ममता, सुमित्रा, दुर्गा, रूकमणी, उर्मिला एवं गीता द्वारा उक्त जायदाद का हस्तांतरण जमना देवी पत्नि मोहनलाल रेगर के हक में करवा दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उप तहसीलदार, मंगलवाड़ ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त नामान्तरण खोला है जबकि उनके द्वारा ग्राम पंचायत मंगलवाड़ की कोई तस्दीक व स्वीकृति भी नहीं ली। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार, डूंगला पक्षकार प्रकरण रहे हैं और ऐसी स्थिति में तहसील कार्यालय को स्थगन की जानकारी थी तथा अपीलांट ने जमना देवी पत्नि मोहनलाल को भी स्थगन की जानकारी दी फिर भी प्रकरण में पेचीदगियां पैदा करने के लिहाज से यह नामान्तरण धोखे से गलत तथ्यों के आधार पर खुलवाया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2019 को हुई और जानकारी होते ही पटवार मण्डल से प्रतिलिपि प्राप्त करते ही यह अपील अन्दर मियाद 30 दिवस के अन्दर पेश है। ताईद में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 निरस्त फरमाते हुए दिनांक 25.04.2019 से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकार्ड में कायम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी नहीं है उक्त जायदाद मे स्वर्गीय लेहरी पिता मोती जी ने अपना हिस्सा शंकरलाल के पक्ष में हकत्याग कर दिया जो इसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 को नहीं है। उक्त जायदाद का पारिवारिक बंटवाड़ा होकर काबिज काश्त हिस्से अनुसार करते चले आ रहे हैं और उसी अनुसार बंटवाड़ा कराये जाने एवं रेकार्ड कायम कराये जाने का वाद पत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला में दिनांक 23.04.2019 को प्रस्तुत किया गया जिस पर मिसल संख्या 65/2019 मुकेश बनाम शंकर दर्ज हो दिनांक 23.04.2019 से उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में हस्तान्तरित नहीं करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है जो सही व सत्य है साथ ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो नामान्तरण खोला गया है वह भी सही व सत्य है उक्त नामान्तरण खोलने में उप तहसीलदार, मंगलवाड़ द्वारा कोई भूल नहीं की है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ उप तहसीलदार, मंगलवाड़ द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जाकर नामान्तरण संख्या 4541 स्वीकृत किया गया है जिससे नामान्तरण सख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर पुष्टि योग्य हैं, अतः अपील अपीलांट खारीज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के

संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी डूंगला में मौजा मंगलवाड़ की विवादित आराजीयात खाता संख्या 934 में आराजी नम्बर 989, 1000, 3743/934, 3744/935 एवं 3745/988 किता 5 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 939 के आराजी नम्बर 3356/988 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि के संबंध में बंटवाड़ा कराये जाने का वादपत्र और अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 65/2019 दर्ज हुए है तथा उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 23.04.2019 से उक्त विवादित आराजीयात को हस्तान्तरित नहीं करने, राजस्व रेकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित आराजीयात के संबंध में आदेश दिनांक 23.04.2019 से स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

अतः न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश पारित किये जाने की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को होना प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है तथा विवादित आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश दिनांक 23.04.2019 प्रभावी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण किया है तथा अधीनस्थ उप

तहसीलदार, मंगलवाड़ द्वारा विवादित नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 स्वीकृत किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

नामान्तरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरण तस्दीक करना होता है, किन्तु अधीनस्थ उप तहसीलदार मंगलवाड़ द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत करने में इस तथ्य की पूर्ण रूप से अनदेखी किया जाना जाहिर होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार, मंगलवाड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 4541 दिनांक 25.04.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ उप तहसीलदार, मंगलवाड़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में उभय पक्ष को साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विधि–सम्मत् कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)